

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 4/2019 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- विक्रमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे,
पवनपुरी, बीकानेर ।

----- अपीलांत

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोंडेंट

अनुपस्थित:- लक्ष्मण कुमार नायक
उपस्थित:- चतुर्भुज शर्मा

अभिभाषक अपीलान्त
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 9.7.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 15.4.19 जिसके द्वारा अपीलान्त को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र बीकानेर से एक की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 24.7.17 को अति० जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी विक्रमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे, पवनपुरी, बीकानेर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल सार्वजनिक स्थान पर जुआ सट्टा करने का आदी है, जो सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों पर रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेल कर अन्य को हानि पहुंचाता है, जिसके कारण समाज के लोगों व पढ़ने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं हैं । इसके विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा सामाजिक बुराई को समाज में फैला रहा है । गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में आता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। गैरसायल का शहर में रहना आम जनता के लिए हितबद्ध नहीं होने के कारण जिला बदर होना जनता के हित में है।

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 1-8-17 को अपीलान्ट के निमित्त अनुसूची प्रपत्र-1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 12.9.17 की तारीख पेशी दी गयी। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.9.17 को स्वयं उपस्थित हुए एवं अभिभाषक की ओर से वकालतनामा पेश करने पर उन्हें धारा 3 का नोटिस पढकर सुनाया एवं समझाया। अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने हेतु अवसर चाहा गया तथा दिनांक 30.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक को अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-1 की साक्ष्य लेने के पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर ने दिनांक 14.3.2019 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र बीकानेर से 1 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा संशोधित आदेश दिनांक 15.4.2019 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरु में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय सरदारशहर में रहने के आदेश दिये। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। प्रकरण में वरवक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अपील मीमो का अवलोकन कर सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।
5. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना, जे.एन.वी. नगर बीकानेर द्वारा जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 2 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें मात्र 100/- रुपये अपीलार्थी पर जुर्माना किया गया है। धारा 13 आरपीजीओ के उक्त मुकदमों में अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है। यह कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा आरोपित प्रकरणों में बतौर जुर्माना सजा दी जा चुकी है, जो दोनों प्रकरण वर्ष 2014 में दर्ज होकर निस्तारित हो चुके हैं, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा वर्ष 2017 में गुण्डा एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई गयी है। अपीलान्ट के विरुद्ध मोहल्ला निवासी की कोई शिकायत पुलिस थाना में दर्ज नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्त के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्त को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं गवाह पीडब्लू-1 तथा रपट रोजनामचा आम दिनांक 21.7.17 के अनुसार अपीलान्त जुआ सट्टे का आदि है व थड़ी, गाडा चलाने वाले, पान खोखे व थ्री व्हीलर चलाने वाले युवकों को उकसाते हैं । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, आम जन तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्त की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अपीलान्त के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । अपीलान्त द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे ।
7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 24.7.2017 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :-

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	167/22.6.14	13 RPGO	4.12.16	सजा 100/- जुर्माना
2	300/25.11.14	13 RPGO	6.2.15	सजा 100/- जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-
- क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।
- ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।
- (ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।
- ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।
9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में




संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 2 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में अभियोजन पक्ष के बयान गवाह पीडब्लू-1 दिनांक 26.4.18 के अनुसार अपीलार्थी जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के गरीब व मजदूरी पेशा लोगों में दहशत है व गलत धन्धे में लोगों को धकेल रहा है । आमजन में भय के कारण लोग इसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्त द्वारा अपने बचाव पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अभियोजन पक्ष के इस्तगासा, अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-1 एवम् रपट रोजनामचा आम दिनांक 21.7.17 के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है । अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त के विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बीकानेर द्वारा अपीलान्त को 1 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र बीकानेर से निष्कासित करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 15.4.19 से निष्कासित अवधि में जिला चूरु में थानाधिकारी, पुलिस थाना सरदारशहर को उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

11. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 9.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर